

तारीख क्रमांक	वृत्त या कार्यवाही का इतिहास	महानगर प्रशासन का क्रमांक वृत्त की तारीख मं. पत्र की संख्या
------------------	------------------------------	--

20/9/16
 पत्रवाली के मा. पत्र / अधिवक्ता के द्वारा
 न्यायिक कार्य स्थिति स्था. / प्र. न.
 नं. 1214/16 दिनांक 23/9/16

23/11/16 पत्रवाली के मा. पत्र / अधिवक्ता के द्वारा
 न्यायिक कार्य स्थिति स्था. / प्र. न.
 नं. 1214/16 दिनांक 18/11/16 के संबंध में

18-1-17 पत्रवाली के मा. पत्र / अधिवक्ता के द्वारा
 न्यायिक कार्य स्थिति स्था. / प्र. न.
 नं. 1214/17 दिनांक 18-1-17

9-2-17 पत्रवाली के मा. पत्र / अधिवक्ता के द्वारा
 न्यायिक कार्य स्थिति स्था. / प्र. न.
 नं. 1214/17 दिनांक 9-2-17
 के पत्र हैं।

6.4.17 पत्रवाली के मा. पत्र / अधिवक्ता के द्वारा
 न्यायिक कार्य स्थिति स्था. / प्र. न.
 नं. 1214/17 दिनांक 6.4.17 के पत्र हैं।
 सी. नं. 1214/17

12/4/17 पत्रवाली के मा. पत्र / अधिवक्ता के द्वारा
 न्यायिक कार्य स्थिति स्था. / प्र. न.
 नं. 1214/17 दिनांक 12/4/17 के पत्र हैं।
 अधिसूचना नं. 1214/17 के मा. पत्र / अधिवक्ता के द्वारा
 न्यायिक कार्य स्थिति स्था. / प्र. न.
 नं. 1214/17 दिनांक 28.6.17 के पत्र हैं।

पत्रवाली के मा. पत्र / अधिवक्ता के द्वारा
 न्यायिक कार्य स्थिति स्था. / प्र. न.
 नं. 1214/17 दिनांक 28/6/17

सी. नं. 1214/17

पत्रवाली के मा. पत्र / अधिवक्ता के द्वारा
 न्यायिक कार्य स्थिति स्था. / प्र. न.
 नं. 1214/17 दिनांक 28/6/17 के पत्र हैं।

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>शुद्धि वादी के पिता के नाम से है, तथा इन खालेदार की सुद्धि होना तथा सुद्धि सुमा के ग्राम पं. पीपड़ा सी. नं. 33 दि. 11.2.14 से पाहिर आता है इस प्रकार सुद्धि का वादी अतिरिक्त खालेदार की होसपत में हकत होना है</p> <p>बाद बाद 88 तक बाद वादी खालेदार किया जाता उचित खालेदार होना है कला वादी का ग्राम पीपड़ा की शुद्धि खालेदार नं. 30, 30/597, 372, 373 किला प. कला 2.47 हेक्टर का खालेदार खालेदार किया जाता है खालेदार नं. 1 व 2 का भी उक्त बाद सुद्धि का खालेदार खालेदार किया जाता है खालेदार नं. 3 व 4 मंडी की निर्देश दिए जाते हैं, कि वे वादी व खालेदारों का व 2 के अतिरिक्त अन्य कोई को भी वादी (सुद्धि नन्दा) के होना जो न्य कत उक्त सुद्धि का उक्त नाम दर्ज करे तदनुसार रिफ्टि जाये हो। पतापती के लिये सुमा होकर दात रखेदार हो। मिर्जा का नं. 23161/7 का कोरु कदापल में सुमा।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
समगंजमण्डली